न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 399 सन 2022
अनवान :—

1. रामेश्वर पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. आसाराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तसहील नोहर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 22/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 130/133 की कुल 2.3790हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता मनीराम पुत्र कुम्भाराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनीराम पुत्र कुम्भारम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता मनीराम पुत्र कुम्भारम अपने दोनो पुत्रों के साथ ही निवास करता था तथा दोनेा पुत्र वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ने मनीराम पुत्र कुम्भारम की अच्छी सेवा चाकरी की गई थी वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मनीराम पुत्र कुम्भारम ने अपने नाम दर्ज वाद भूमि की वसीयत अपने दोनो पुत्रो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 13.09.2006 को तहरीर करवाई जाकर तस्दीक करवाई गई थी ।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मनीराम पुत्र कुम्भारम का देहान्त दिनांक 21.04.2020 को हो चुका है इसलिये मनीराम पुत्र कुम्भारम के द्वारा करवाई गई वसीयत के अनुसार मनीराम पुत्र कुम्भारम के देहान्त होने पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनों के हक हिस्सा की भूमि है इसलिये वादी मनीराम पुत्र कुम्भारम की वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की मनीराम पुत्र कुम्भारम के नाम दर्ज भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मनीराम पुत्र कुम्भारम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके पिता मनीराम पुत्र कुम्भारम के नाम से दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मनीराम पुत्र कुम्भारम ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत अपने दोनो पुत्र वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में करवाई गइ थी वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मनीराम पुत्र कुम्भारम का देहान्त हो चुका है इसलिये मनीराम पुत्र कुम्भारम की वसीयत के अनुसार वाद

खण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि जो वर्तमान में मनीराम पुत्र कुम्भारम के नाम से दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार को ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 130/133 की कुल 2.3790हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता मनीराम पुत्र कुम्भाराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनीराम पुत्र कुम्भारम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता मनीराम पुत्र कुम्भारम अपने दोनो पुत्रों के साथ ही निवास करता था तथा दोनो पुत्र वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ने मनीराम पुत्र कुम्भारम की अच्छी सेवा चाकरी की गई थी वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मनीराम पुत्र कुम्भारम ने अपने नाम दर्ज वाद भूमि की वसीयत अपने दोनो पुत्रो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 13.09.2006 को तहरीर करवाई जाकर तस्दीक करवाई गई थी ।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मनीराम पुत्र कुम्भारम का देहान्त दिनांक 21.04.2020 को हो चुका है इसलिये मनीराम पुत्र कुम्भारम के द्वारा करवाई गई वसीयत के अनुसार मनीराम पुत्र कुम्भारम के देहान्त होने पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो के हक हिस्सा की भूमि है इसलिये वादी मनीराम पुत्र कुम्भारम की वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 130/133 की कुल 2.3790हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता मनीराम पुत्र कुम्भाराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनीराम पुत्र कुम्भाराम के नाम से दर्ज है जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 का पिता है मनीराम पुत्र कुम्भाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जीत वाद भूमि की वसीयत अपने दोनो पुत्रो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तहरीर/पंजीबद्व करवाई गई थी। वादी के पिता मनीराम पुत्र कुम्भाराम का देहान्त हो चुका है मनीराम पुत्र कुम्भाराम का देहान्त होने बाद मनीराम पुत्र कुम्भाराम के द्वारा करवाई गइ वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार कर इकबाल जबाब पेश किया जा चुका है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार मनीराम पुत्र कुम्भाराम वाद भूमि का खातेदार काश्तकार था तथा वाद भूमि मनीराम पुत्र कुम्भाराम की स्वअर्जित भूमि थी मनीराम पुत्र कुम्भाराम ने

खण्ड अधिकारी
नोहर

अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित वाद भूमि की वसीयत अपने जीवनकाल में अपने दोनो पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में करवाई गई है मनीराम पुत्र कुम्भाराम के देहान्त होने पर मनीराम पुत्र कुम्भाराम की वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। मनीराम पुत्र कुम्भाराम की वसीयत के सम्बध में परोकार राज ने भी किसी प्रकार का ऐतराज नही किया गया है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 130 / 133 की कुल 2.3790हैक भूमि जो वर्तमान में मनीराम वल्द कुम्भा के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/08/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामेश्वर पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 आसाराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तसहील नोहर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 399 सन 2022 निर्णय दिनांक– 22/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 130/133 की कुल 2.3790हैक्‍ भूमि जो वर्तमान में मनीराम वल्द कुम्भा के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर